

FR No. 4121
14113राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभा.

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 12 NOV 2013

:- आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.10.2013 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख आवंटित किए गए राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने/रहने योग्य नहीं होने के कारण आवंटन आदेश एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	सेवानिवृत्त दिनांक
1	18/2012	डॉ० केशवदेव सहायक आचार्य पीआरएम (आरआरसी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	5/6, हीराबाग जयपुर	31.7.2045
2	25/2012	डॉ० नौरज चतुर्वेदी सहायक आचार्य (कार्डियोलोजी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	II/36, गांधीनगर	31.7.2039
3	40/2012	श्री मुक्ता चन्द कानूगी अधीक्षक अभियन्ता (पी.एम.सी.एस.वाई.) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	एम-14, गांधीनगर	31.1.2015
4	42/2012	श्री बाल केशव साखला उपायुक्त (सांख्यिकी) कनसालय अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	II/.. गांधीनगर (रहने योग्य नहीं होने के कारण)	31.5.2015

सच्यपाल की आज्ञा से,


राजेश कुमार

(राजेश कुमार खोरासिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कौषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, सांख्यिकी/जन स्वास्थ्य/जयपुर विवि/निगम विवि/गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का निम्नानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करारों साथ ही आवंटित आवास में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावे।
11. संबंधित अधिकारीगण।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रमुख निदेशक, राजकोष, ग्रथम ताल योजना चवन, जयपुर-कृषक प्रथम आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौको, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृषक आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा लेवे। कृषक आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरमा करावे।

15. श्री बालकिशन सांखला, उपायुक्त, सांख्यिकी कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर को वरियता से अगले आवंटन पर विचारणीय होगा।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
17. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
18. प्रबन्धक, ट्राजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।


(मु. लाल शर्मा) 11/11/13
शासन सहायक सचिव